दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 22 मार्च, 2024

उद्घोषित : 18 जुलाई, 2024

ले.पे.अ. 390/2019

कंचन सैनी .....अपीलार्थी/पुनर्विलोकन
याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अश्विन कुमार डी.एस. व श्री इशान रॉय चौधरी, अधिवक्तागण।

बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय व अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री मोहिंदर जे.एस. रूपल, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिवक्ता।
श्री अपूर्व कुरुप और सुश्री गौरी गोबर्धन, यू.जी.सी. के अधिवक्तागण।
श्री अनुराग दयाल माथुर, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के अधिवक्ता।

ले.पे.अ. 448/2019

डॉ. कुलदिप आहूजा .....अपीलार्थी/समीक्षा
याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री मीत मल्होत्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री रवि एस. चौहान, श्री

लक्ष्मीश एस. कामत व श्रीमती समरिति आहूजा, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के अधिवक्तागण सह व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी स्वयं।

बनाम

दिल्ली विश्वविद्यालय व अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा : श्री मोहिंदर जे.एस. रूपल, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिवक्ता।
श्री अपूर्व कुरुप और सुश्री गौरी गोबर्धन, यू.जी.सी. के धिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

संजीव नरूला, न्या. :

सि.वि. आ. 5436/2021 (प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन), सि.वि. आ. 5437/2021, सि.वि. आ. 5438/2021, सि.वि. आ. 44082/2023, सि.वि. आ. 53547/2023 व ले.पे.अ. सं. 390/2019 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 28/2021; सि.वि. आ. 1733/2021 और ले.पे.अ. सं. 448/2019 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 12/2021

न्यायालय के समक्ष विवाद

1. यह ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त दोनों पुनर्विलोकन याचिकाओं

[ले.पे.अ. सं. 390/2019 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 28/2021 और ले.पे.अ. सं. 448/2019 में पुनर्विलोकन याचिका सं. 12/2021] में चुनौती के आधारों और अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों में समानता है, इन दोनों का निपटान इस समान आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। सुविधा और संदर्भ की स्पष्टता के लिए, ले.पे.अ. सं. 390/2019 के तथ्यों का विशेष रूप से संदर्भ दिया गया है।

2. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता, सुश्री कंचन सैनी, को दिनांक 29 अगस्त, 1997 को मोतीलाल नेहरू कॉलेज [*"प्रत्यर्थी सं. 2"*], जो दिल्ली विश्वविद्यालय [*"प्रतिकर्ता सं. 1"*] से संबद्ध एक कॉलेज है, में अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में एक प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। वह अपने नियुक्ति पत्र और कॉलेज शिक्षकों के सेवा समझौते के प्रपत्र की शर्तों का आश्रय इस पर जोर देने हेतु लेती हैं कि प्रशिक्षक के रूप में उनकी भूमिका में शिक्षण प्रदान करने और दैनिक कक्षाएं आयोजित करने सहित कई शिक्षण गतिविधियां शामिल हैं। तदनुसार, वह दावा करती हैं कि उनका पद दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 [*"डीयू अधिनियम"*] की धारा 2(छ) के अनुसार "शिक्षकों" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस दावे के समर्थन में, उन्होंने दिनांक 16 मई, 1994 व 24 जनवरी, 1995 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का भी आश्रय लिया है, जिसमें "अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षक" के पद को एक शिक्षण पद के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दिनांक 24 दिसंबर, 1998 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई [***"यूजीसी अधिसूचना, 1998"***]। उक्त अधिसूचना के पैरा 16.2.0 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि *"रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा कर्मी, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों, जिन्हें शिक्षकों के समान माना जा रहा है और जिनकी अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष थी, की अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष होगी..."*. इसके बाद, दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 को यूजीसी ने एक पत्र जारी किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी। दिनांक 23 मार्च, 2007 को एक पत्र के माध्यम से, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), जिसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया गया, ने निर्देश दिया कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए। इसे दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के एक पत्र के माध्यम से अनुपूरित किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह वृद्धि अन्य किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, *"इस तथ्य के बावजूद कि उनके पद शिक्षण पदों के समान माने जा सकते हैं।"* इस वृद्धि की बाद में "विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर यूजीसी विनियम और

उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय, 2010" [*"यूजीसी विनियम, 2010"*] द्वारा पुष्टि की गई थी।

4. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 को यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि चूंकि वह एक शिक्षण पद पर हैं, उसकी अधिवर्षिता की आयु शिक्षकों के समान मानी जानी चाहिए और उन्हें 65 वर्ष की बढ़ी हुई अधिवर्षिता आयु का अधिकारी माना जाना चाहिए। ऐसे अभ्यावेदनों को अस्वीकार किए जाने पर, उसने अपनी अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। यद्यपि न्यायालय ने रिट याचिका में नोटिस जारी किया, लेकिन कोई रोक निर्देशित नहीं की और इस प्रकार, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता ने दिनांक 30 अप्रैल, 2017 को 60 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता प्राप्त की।

5. रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 26 मार्च, 2019 के निर्णय [*"एकल न्यायाधीश आदेश"*] द्वारा खारिज कर दिया। इस निर्णय को एक पत्र पेटेंट अपील द्वारा चुनौती दी गई थी, हालांकि, खंडपीठ ने दिनांक 16 दिसंबर, 2019 को दिए गए निर्णय [*"आक्षेपित आदेश"*] के माध्यम से एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की। इसके बाद पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ के आक्षेपित आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर मामले को आगे बढ़ाया। उक्त एसएलपी को दिनांक 11 सितंबर, 2020 को निम्नलिखित

टिप्पणियों के साथ वापस लेने पर खारिज कर दिया गया :-

> *"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पुनर्विलोकन याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते।*
>
> *विशेष अनुमति याचिका, तदनुसार, उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने पर खारिज कर दी जाती है।"*

6. यह उल्लेख किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट स्वतंत्रता जुड़े हुए मामले, अर्थात ले.पे.अ. 448/2019 में, एसएलपी(सि) 7247/2020 में दिनांक 17 जुलाई, 2020 के आदेश के माध्यम से भी प्रदान की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, वर्तमान पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं।

<u>पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ</u>

7. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का सारांश इस प्रकार है :-

7.1. एकल न्यायाधीश आदेश के पैराग्राफ नं. 2(i) में, एक मुद्दा विरचित किया गया था, जो इस प्रकार प्रभावी था: *क्या याचिकाकर्ताओं को 'शिक्षक' माना जा सकता है?* हालांकि, इस मुद्दे पर कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया गया। इसी प्रकार, अपील कार्यवाही में भी, इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया था लेकिन आक्षेपित आदेश में इस पर विचार या चर्चा नहीं की गई। इस मुद्दे का निर्धारण मौलिक है और वर्तमान मामले की जड़ में जाता है :-

यदि याचिकाकर्ता को शिक्षक माना जाता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय कैलेंडर, 2004 के अध्यादेश XI, नियम 3-क (i) के अनुसार, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कॉलेज में नियुक्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी, वह 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगी। इस दावे के समर्थन में, निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है :-

(i) ***पी.एस. राममोहन राव बनाम ए.पी. कृषि विश्वविद्यालय व अन्य;***

(ii) ***नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय व अन्य बनाम भूपेंद्र सिंह रावत व अन्य;***

(iii) ***एस. दिलदार हैदर बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया व अन्य,*** *जैसा* कि ***एम. पद्मनाभन बनाम भारत संघ व अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7.2. अभिलेख पर महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता 'कक्षाएं/पाठ्यक्रम/अध्ययन कार्यक्रम पढ़ाने में संलग्न रही है', जैसा कि एम.एच.आर.डी. के पत्र दिनांकित 19 अप्रैल, 2007 के तहत आवश्यक है, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश गलत तरीके से यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता, अधिक से अधिक एक शिक्षण पद पर होने के समान मानी जा सकती है। इस गलत धारणा पर, आक्षेपित आदेश यह अभिनिर्धारित करता है कि एम.एच.आर.डी. के पत्रों द्वारा लागू की गई वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति *"उन विषयों*

में कक्षा शिक्षण करें जिनमें विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है", जो एम.एच.आर.डी. के पत्रों द्वारा निर्धारित की गई बात से परे है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता एम.एच.आर.डी. के पत्र(त्रों) के अनुसार 'शिक्षकों' शब्द की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे वह अधिवर्षिता की बढ़ी हुई आयु की हकदार होती है। इस संबंध में, ***पी.एस. राममोहन राव (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा किया गया है।

7.3. यूजीसी के दिनांक 15 फरवरी, 2019 के परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षण असाइनमेंट और अन्य शैक्षणिक कर्तव्यों को पूरा करने वाले प्रशिक्षकों को 'अन्य शैक्षणिक कर्मचारी' माना जाना चाहिए। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता, गैर-शिक्षण कर्मचारी नहीं होने के कारण, किसी भी स्थिति में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बजाय अधिक आयु में सेवानिवृत्त होने की हकदार है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने निम्नानुसार तर्क दिया है :-

8.1. वर्तमान पुनर्विलोकन याचिकाओं में प्रस्तुत किया गया मामला कभी भी रिट याचिका या अपील में आग्रह किया गया आधार नहीं था, और इसलिए यह पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर है।

8.2. आक्षेपित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुनर्विलोकन

याचिकाकर्ताओं को शिक्षक नहीं माना जा सकता है और इसलिए वे अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं। इस निष्कर्ष को पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह अभिलेख पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

8.3. अधिवर्षिता में वृद्धि के लाभ से इनकार करने के लिए आक्षेपित आदेश से स्पष्ट तर्क समान रहेंगे। यदि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं को शिक्षण कर्मचारियों का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो वे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का दावा नहीं कर सकते हैं, जो केवल शिक्षकों/शिक्षण कर्मचारियों के लिए थी।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

9. हमने उपरोक्त तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभ में इस न्यायालय का रुख यह मांग करते हुए किया कि प्रशिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा कर 65 वर्ष किया जाए, जो एम.एच.आर.डी. के उन 'शिक्षकों' की अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष करने के अनुसरण में था, जो सक्रिय रूप से कक्षाएं, पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम पढ़ाने में संलग्न हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा करते हुए भेदभाव का आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक मनमाना खड़ा किया गया था,

क्योंकि उन्हें अधिसूचनाओं के तहत मान्यता नहीं दी गई थी, भले ही वे शिक्षक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे। उनका तर्क दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 2(छ) पर आधारित था, जिसके संबंध में वे दावा कर रहे थे कि इसमें 'प्रशिक्षकों' को स्पष्ट रूप से 'शिक्षकों' की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। संबंधित प्रावधान बताता है कि "शिक्षकों" में *"प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, और विश्वविद्यालय या कॉलेज या हॉल में शिक्षण प्रदान करने वाले अन्य व्यक्ति" शामिल होंगे।"*

10. एकल न्यायाधीश आदेश और आक्षेपित आदेश दोनों में, न्यायालय ने मूल रिट याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार किया, जो प्रशिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर केंद्रित था। विचार-विमर्श के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का लाभ प्रशिक्षकों को उपलब्ध नहीं होगा। इस निष्कर्ष की नींव संबंधित एम.एच.आर.डी. पत्रों और यूजीसी परिपत्रों के पढ़ने पर आधारित थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी की विशिष्ट आवश्यकता पर ध्यान देना था, और इसलिए इसे विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के तीन पदनामों, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए

सीमित किया गया था।

11. उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, एकल न्यायाधीश आदेश ने प्रशिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने से इनकार कर दिया। इस निर्णय को आक्षेपित आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसके प्रासंगिक भाग को यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> *"17. उपरोक्त योजना से यह स्पष्ट होता है कि अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि उन शिक्षकों के लिए दी गई थी जो उन विषयों में कक्षा शिक्षण करते हैं जिनमें विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। स्टेनोग्राफी एक विशिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से एक हो सकता है। हालांकि, अपने आप में, यह एक ऐसा अध्ययन विषय नहीं है जिसमें विश्वविद्यालय स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता है। यह एक व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय है और भारत सरकार द्वारा जारी उक्त पत्र का स्पष्ट उद्देश्य, उन शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि को 65 वर्ष तक सीमित करना था, जो केवल सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपने उपरोक्त पत्र में उपयोग किए गए "शिक्षक" शब्द को, जिसकी अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है, को दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम या सामान्य रूप से समझी गई "शिक्षक" की परिभाषा के रूप में नहीं समझा जा सकता है।*
>
> *18. जैसा कि ऊपर देखा गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में "शिक्षक" शब्द की परिभाषा उस अधिनियम के उद्देश्य के लिए है, जबकि भारत सरकार अपनी नीतियों को उस भाषा के दायरे में नहीं बनाती जो इस्तेमाल की गई है, और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित शब्दों के अनुसार, जिसके द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान का गठन किया जा सकता है। अंततः, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में बजट प्रदान करे और धन आवश्यकताओं को पूरा करे, जिनकी अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर*

62 से 65 वर्ष कर दी गई है। इसलिए, इस मुद्दे की जांच करते समय – कि क्या स्टेनोग्राफी के "प्रशिक्षकों" की सेवानिवृत्ति की आयु भी 65 वर्ष बढ़ा दी गई है, या नहीं, किसी को भी भारत सरकार द्वारा दिए गए "शिक्षक" शब्द के अर्थ को देखना होगा, न कि सामान्य रूप से समझे जाने वाले "शिक्षक" शब्द के अर्थ को, या दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में "शिक्षक" शब्द के अर्थ को।"

12. उपरोक्त से यह देखा गया है कि एकल न्यायाधीश आदेश और आक्षेपित आदेश दोनों ने एम.एच.आर.डी. द्वारा जारी पत्रों में "शिक्षकों" शब्द की परिभाषा को दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत पढ़ना अनुचित पाया। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कोई आवश्यक्ता नहीं पाई गई कि 'प्रशिक्षकों' के 65 वर्ष की बढ़ी हुई अधिवर्षिता आयु के हकदार होने के निर्धारण के उद्देश्य से इस बात की विस्तृत जांच की जाए कि 'प्रशिक्षक' डीयू अधिनियम की धारा 2(छ) के दायरे में आते हैं या नहीं। फिर भी, हम पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं से सहमत हैं कि इस विषय में वास्तव में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि 'प्रशिक्षक' डीयू अधिनियम की धारा 2(छ) के तहत 'शिक्षक' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे या नहीं।

13. इस मोड़ पर, यह ध्यान देने योग्य है कि पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** पर भरोसा जताया है, जिससे हम मानते हैं कि और अधिक बारीकी से जांच की आवश्यकता है :-

13.1. ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में, रिट याचिकाकर्ता, जिसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में चमड़ा हस्तशिल्प के प्रशिक्षक

के रूप में नियुक्त किया गया था, ने 60 से 62 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ मांगा था, जैसा कि शिक्षकों को उपरोक्त यूजीसी अधिसूचना, 1998 के तहत दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता के 62 वर्ष की आयु में अधिवर्षिता प्राप्त होने के अनुरोध को अस्वीकार करने का विश्वविद्यालय का निर्णय मनमाना था।

13.2. यूजीसी अधिसूचना, 1998 के पैराग्राफ 16.2.0 पर विचार करते हुए, ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि कुछ गैर-शिक्षण स्टाफ, जैसे कि रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा कर्मी आदि को भी शिक्षकों के समान अधिवर्षिता की बढ़ी हुई आयु का लाभ दिया गया था।

13.3. ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि भले ही प्रशिक्षकों को गैर-शिक्षण पद पर माना जाए, उन्होंने कुछ शिक्षण/ शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन किया था। इस प्रकार, भले ही उन्हें 'शिक्षकों' के बराबर नहीं माना जाए, पर उन्हें उन कर्मचारियों की तुलना में असुविधा नहीं होनी चाहिए जो केवल प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, जिन्हें इसके बावजूद शिक्षकों के समान बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ दिया गया था, भले ही वे शैक्षणिक/ शिक्षण में शामिल नहीं थे। इस मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय के ***शेर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया था।

13.4. तदनुसार, ***उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाम वी.एस. मुथुरंगम और अन्य*** में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप, जिसमें कहा गया था कि सेवा की शर्तें "जितना संभव हो सके" समान होनी चाहिए, ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रशिक्षकों को कम से कम अन्य 'गैर-शिक्षण स्टाफ' जैसे रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन और वित्त अधिकारी को दी गई 60 से 62 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के समान लाभ मिलना चाहिए।

14. हालांकि, वर्तमान मामले में, एकल न्यायाधीश आदेश ने ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** के निर्णय की लागू होने की संभावना को, इसे तथ्यात्मक आधारों पर भिन्न मान कर, अस्वीकार कर दिया। विशेष रूप से, यह उल्लेख किया गया कि उक्त निर्णय अधिवर्षिता की आयु 62 वर्ष करने पर विचार करता है, जबकि वर्तमान मामला 65 वर्ष तक विस्तार से संबंधित है। परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश आदेश में यह टिप्पणी है कि ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्णय देते समय, न्यायालय को एम.एच.आर.डी. के दिनांक 23 मार्च, 2007 और 19 अप्रैल, 2007 के पत्रों पर विचार करने का अवसर नहीं मिला, जिनके द्वारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष की गई थी, क्योंकि वे निर्णय दिए जाने के बाद जारी किए गए थे। इसी प्रकार, यह भी उल्लेख किया गया कि ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** मामले में कोर्ट दिनांक 31 दिसंबर, 2008 के एम.एच.आर.डी.

परिपत्र पर विचार करने में असमर्थ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 65 वर्ष की आयु वृद्धि का लाभ केवल सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों तक सीमित था। इस प्रकार, एकल न्यायाधीश आदेश और आक्षेपित आदेश दोनों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रशिक्षकों को अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

15. हमारी राय में, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिकाओं में अधिक सूक्ष्म तर्क प्रस्तुत किया है, जो उनकी राहत को प्रशिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम से कम 62 वर्ष तक बढ़ाने तक सीमित करती है। इस संदर्भ में, वे तर्क देते हैं कि वे डीयू अधिनियम के तहत 'शिक्षक' के रूप में योग्य हैं, और तदनुसार, ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** के निर्णय पर भरोसा करते हुए, प्रशिक्षक यूजीसी अधिसूचना, 1998 के पैरा 16.2.0 के अनुसार, अपनी अधिवर्षिता की आयु को 62 वर्ष तक बढ़ाए जाने के हकदार हैं। चूंकि न तो एकल न्यायाधीश आदेश और न ही खंडपीठ का आक्षेपित आदेश इस महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करता है, इसलिए डीयू अधिनियम के तहत उनकी 'शिक्षक' के रूप में स्थिति अब भी अनिर्णीत है। वे तर्क देते हैं कि यह कमी पुनर्विचार और ***एस. दिलदार हैदर (उपरोक्त)*** में स्थापित मिसाल के अनुरूप अधिक अनुकूल व्याख्या को अपेक्षित बनाती है।

एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)

16. चूंकि मूल रूप से दायर रिट याचिका सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65

वर्ष करने से संबंधित थी, इसलिए न्यायालय ने अपनी चर्चा को सरकारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के अनुसार 'शिक्षकों' के अर्थ तक सीमित कर दिया। इस प्रकार, इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि क्या प्रशिक्षक डीयू अधिनियम में परिभाषित 'शिक्षकों' के दायरे में आते हैं, और परिणामस्वरूप, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया, न्यायोचित है। इसके अलावा, यह भी नहीं देखा गया कि क्या प्रशिक्षक ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** में निर्धारित मिसाल के अनुसार 62 वर्षों के लाभ के हकदार होंगे, भले ही उन्हें शिक्षकों के पद के बराबर माना जाए या नहीं। उपरोक्त मुद्दों पर विचार न करने की यह विफलता एक महत्वपूर्ण चूक है। यह निर्धारण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनकी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के लिए पात्रता को प्रभावित करता है। एक व्यापक जांच में प्रशिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विश्लेषण शामिल होना चाहिए, जिनकी तुलना मान्यता प्राप्त शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ हो, ताकि सेवानिवृत्ति नीति का निष्पक्ष और न्यायसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित हो सके।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेपित आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए इच्छुक हैं। तदनुसार, मामले को अब निम्नलिखित प्रश्नों की सीमित जांच के लिए संबंधित रोस्टर पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए :-

17.1. पुनर्विलोकन याचिकाकर्ताओं के कक्षाओं/ पाठ्यक्रमों/ अध्ययन

कार्यक्रमों के शिक्षण में संलग्न होने के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(छ) के तहत "शिक्षक" के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं या नहीं।

17.2. याचिकाकर्ता ***एस. दिलदार हैदर (पूर्वोक्त)*** के निर्णय के अनुसार, जो कुछ गैर-शिक्षण स्टाफ को 62 वर्ष की बढ़ी हुई अधिवर्षिता आयु के उद्देश्य से 'शिक्षकों' के समान मानता है, बढ़ी हुई अधिवर्षिता की आयु का लाभ पाने के हकदार हैं या नहीं।

18. उपरोक्त शर्तों में पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटान किया जाता है।

19. दिनांक 5 अगस्त, 2024 को रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

संजीव नरूला, न्या.

विभु बाखरू, न्या.

18 जुलाई, 2024
एनके/डीजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।